

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-1)

क्रमांक: एफ 2(3)ग्रावि/ग्रुप-1/2006

जयपुर, दिनांक:

1 8 JAN 2016

-: संशोधन :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.01.2016 के अंतिम पैरा की तीसरी पंक्ति में बाडमेर के स्थान पर सहवन से जैसलमेर हो गया है । अतः उक्त आदेश का अंतिम पैरा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-


“अतः जिला परिषद, बाडमेर में बी.ए.डी.पी. के कार्यों की अधिकता एवं वीडिओ कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देशानुसार उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए श्री एस.पी.माथुर को जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), बाडमेर में अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी) के पद का ही कार्य करने हेतु तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है । श्री बाबू लाल सेठिया पूर्ववत अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा) का कार्यभार सम्पादित करते रहेंगे ।”


(उज्ज्वल राठौड़)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके आदेश संख्या जिपबां/निसप्र/2015/5345-58 दिनांक 09.12.2015 को निरस्त करे ।
6. जिला कलक्टर, जैसलमेर ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर/जैसलमेर ।
8. श्री एस.पी.माथुर, अधिशाषी अभियन्ता(अभि.), जिला परिषद, बाडमेर को पालनार्थ ।
9. श्री बाबूलाल सेठिया, अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, बाडमेर।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(राजेश कुमार शर्मा)
परियोजना अधिकारी(प्रशासन)